

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्या - 862/2024

अनवान : -

1. कालुराम पुत्र भगवानदास जाति स्वामी निवासी किंकरालीया तहसील रावतसर ।
2. अमरसिंह पुत्र भगवानदास जाति स्वामी निवासी किंकरालीया तहसील रावतसर ।
3. धर्मपाल पुत्र भगवानदास जाति स्वामी निवासी किंकरालीया तहसील रावतसर ।

- वादीगण

बनाम्

1. नाथी पत्नी भगवानदास जाति स्वामी निवासी किंकरालीया तहसील रावतसर ।
2. मीरा देवी पुत्री भगवानदास जाति स्वामी निवासी किंकरालीया तहसील रावतसर ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर ।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88-89, राजस्थान काश्त0

अधि0 1955

उपस्थिति :- श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय


दिनांक: 09/9/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि रोही मोजा मुन्सरी तहसील नोहर के जमाबदी सम्वत 2071-2074 के खाता संख्या 138/235 के कुल खसरे 1 का कुल क्षेत्रफल 2.8750 है0 भूमि मृतक भगवानदास पुत्र हजारीदास के खातेदारी नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड हैं।

उपरोक्त भूमि वादीगण व प्रतिवादीया संख्या 2 की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 का जन्मजात हक व हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 1 जो की वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 की माता है उपरोक्त भूमि में कोई हक व हिस्सा नहीं लेना चाहती है व अपना जो भी हक व हिस्सा उपरोक्त भूमि में है अपने पुत्रों के पक्ष में परित्याग कर चुकी है तथा प्रतिवादीया संख्या 2 जो की वादीगण की बहिन है उपरोक्त भूमि कोई हक व हिस्सा नहीं लेना चाहती है व अपना जो भी हक व हिस्सा उपरोक्त भूमि में है अपने भाईयो के पक्ष में परित्याग कर चुकी है बाद हक त्याग रोही मोजा मुन्सरी तहसील नोहर के जमाबदी सम्वत 2071-2074 के खाता संख्या 138/235 के कुल खसरे 1 का कुल क्षेत्रफल 2.8750 है0 भूमि पर वादीगण संख्या 1 ता 3 ब.हि.ब काबिज है। वादीगण जिसकी घोषणा न्यायालय से करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है यही विनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी को हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।


उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं० 1 ता 2 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 को कोई ऐतराज नहीं है। प्रतिवादी संख्या 3 परोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदी, मृत्यु प्रमाण पत्र भगवानदास आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।


बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में वादी के पिता भगवानदास के नाम दर्ज है भगवानदास का देहान्त हो चुका है। भगवानदास के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादीगण व प्रतिवादी सं० 1 ता 2 है जो की अपने हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शून्य कर लिया है। बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादीगण काबिज है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नहीं है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

परोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मोजा मुन्सरी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071-2074 के खाता संख्या 138/235 के कुल खसरे 1 का कुल क्षेत्रफल 2.8750 है० भूमि मृतक भगवानदास पुत्र हजारीदास के खातेदारी नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड हैं। वादी का कथन है कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में वादी के पिता भगवानदास के नाम दर्ज है भगवानदास का देहान्त हो चुका है। भगवानदास के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादीगण व प्रतिवादी सं० 1 ता 2 है जो की अपने हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शून्य कर लिया है। बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादीगण काबिज है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 को कोई ऐतराज नहीं है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा मुन्सरी तहसील नोहर के जमाबदी सम्वत् 2071-2074 के खाता संख्या 138/235 के कुल खसरे 1 का कुल क्षेत्रफल 2.8750 है0 भूमि में से मृतक भगवानदास पुत्र हजारीदास का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण संख्या 1 ता 3 को ब.हि.ब का के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09/9/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या - 862/2024

अनवान : -

1. कालुराम पुत्र भगवानदास जाति स्वामी निवासी किंकरालीया तहसील रावतसर ।
2. अमरसिंह पुत्र भगवानदास जाति स्वामी निवासी किंकरालीया तहसील रावतसर ।
3. धर्मपाल पुत्र भगवानदास जाति स्वामी निवासी किंकरालीया तहसील रावतसर ।

- वादीगण

बनाम्

1. नाथी पत्नी भगवानदास जाति स्वामी निवासी किंकरालीया तहसील रावतसर ।
2. मीरा देवी पुत्री भगवानदास जाति स्वामी निवासी किंकरालीया तहसील रावतसर ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर ।


- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 862 सन 2024 निर्णय दिनांक 09/9/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा मुन्सरी तहसील नोहर के जमाबदी सम्वत् 2071-2074 के खाता संख्या 138/235 के कुल खसरे 1 का कुल क्षेत्रफल 2.8750 है0 भूमि में से मृतक भगवानदास पुत्र हजारीदास का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण संख्या 1 ता 3 को ब.हि.ब का के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 09/9/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर